

निर्णय नं इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या 105/2024 (धारा 14 सिक्क्योरिटाईजेशन)
निवास फाईनेशियर्स लि. (पूर्व नाम एमू हाउसिंग फाईनेन्स लि.) पंजीकृत कार्यालय 201-202 फ्लोर सातुथ
एड स्क्वायर, मानसरोवर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

श्री रामावतार शर्मा पुत्र श्री चौथमल शर्मा

निवासी :- 139, बाफलावत चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

एवं प्लॉट नम्बर बी-375, खसरा नम्बर 179/2, ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जिला
जयपुर।

श्रीमती आशा शर्मा पत्नी श्री रामावतार शर्मा

श्री चौथमल पुत्र महादेव

निवासी :- 139, बाफलावत चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

श्री पुनीत शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा

निवासी :- 206, नृसिंह देव की बगीची, 12 मोरी, ब्रह्मपुरी, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002.

स्थित:- श्री नरपत सिंह अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 23.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
12.07.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री चौथमल के स्वामित्व की संपत्ति
प्लॉट नम्बर बी-375, खसरा नम्बर 179/2, ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जिला
जयपुर क्षेत्रफल 750 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 20,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध
कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर
अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 10.01.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी
किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी
वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of
Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस
मददाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से
दिखा गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)




पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 20,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि गय ब्याज कुल 11,232,093/- रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 10.01.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत गार्हना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री चौधमल के स्वामित्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नम्बर वी-375, खसरा नम्बर 179/2, ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर क्षेत्रफल 750 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर प्रार्थी के आवे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द हैं। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

देश आज दिनांक 23.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलकट) जयपुर (ग्रामीण)